बिहार सरकार
<u>अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के आदेश सं0–11338 दिनांक–09.07.13 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय आदेश सं0–63 दिनांक–13.01.14 के द्वारा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक तथा मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजित करते हुये विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश की कंडिका 4 में यह प्रावधान था कि नियोजित शिक्षकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होनेवाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वहीं मानदेय होगी लेकिन विभागीय आदेश सं0–63 दिनांक–13.01.14 के द्वारा कतिपय वैसे सेवानिवृत शिक्षक नियोजित हो गये, जिनकी सेवा पेंशन प्रदायी नहीं थी फलतः उनके मानदेय भुगतान में कठिनाई हो गई है।

अतः उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय आदेश सं0–63 दिनांक–13.01.14 के द्वारा वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है, उन्हें आदेश निर्गत की तिथि से नियोजन से मुक्त किया जाता है।

2– प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

31/12/14

निदेशक।

ज्ञापांक–02/शि0 स्था0 60–12/14– 2994 पटना, दिनांक– 31.12.2014

प्रतिलिपि–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी जिला पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि जिनकी सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है, वैसे नियोजित शिक्षको की सेवा पत्र निर्गत की तिथि से हीं समाप्त कर देगें।

31/12/14

निदेशक।